

न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेशर एटा।
उपस्थित: विकास कुमार वर्मा J.O CODE NO- UP-2225 उ0प्र0 न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 320/2026
मनोज----- बनाम-----डेविड

परि०संख्या-1501/2025
धारा-85, 115(2), 352,
वी.एन.एस व 3/4 डी०पी एक्ट
थाना-नि०कलां, जनपद एटा

1-डेविड कुमार पुत्र हेमवीर
निवासी दीपपुर थाना अकराबाद जिला अलीगढ़

06-05-2026

प्रार्थी/अभियुक्त डेविड कुमार की ओर से परि०संख्या-1501/2025 अ०धारा 85, 115(2), 352 वी.एन.एस व 3/4 डी०पी एक्ट थाना नि०कलां जिला एटा द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। अभियुक्त को एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर तलब किया गया है। मामला परिवाद पर आधारित है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामलों के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

-आदेश-

प्रार्थी/अभियुक्त डेविड कुमार की ओर से परि०संख्या-1501/2025 अ०धारा 85, 115(2), 352 वी.एन.एस व 3/4 डी०पी एक्ट थाना नि०कलां जिला एटाके प्रकरण में मुव० 20,000/- रु० की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(विकास कुमार वर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेशर एटा।